[2008] 8 एस.सी.आर 1201

ए.पी.एस.आर.टी.सी और अन्य

बनाम

के. हेमलता व अन्य

(2008 की सिविल अपील संख्या 3623-3626)

16 मई, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, जेजे.]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-धारा - 173:

मुआवजे के लिए दावा-अंशदायी लापरवाही और समग्र लापरवाही के मानदंड पर चर्चा की गई-अवधारित: दो या दो से अधिक वाहनों की दुर्घटना में, जहाँ तीसरा पक्ष (शामिल वाहनों चालकों या मालिकों के अलावा) चोटों की क्षति के लिए हर्जाने का दावा करता है, वहां उन वाहनों के चालकों की 'समग्र लापरवाही' के संबंध में मुआवजा देय है, लेकिन ऐसी दुर्घटना के संबंध में, यदि व्यक्तिगत चोटों के लिए दावा स्वयं चालकों में से किसी एक चालक द्वारा किया जाता है, या चालकों में से किसी एक के विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा चालक की मृत्यु के कारण हुए क्षति के लिए, या किसी एक वाहन के मालिक द्वारा उसके वाहन को हुई क्षति के संबंध में किया जाता है, तो जो मुद्दा उठता है वह सभी चालकों की 'समग्र लापरवाही' के बारे में नहीं है, बल्कि संबन्धित वाहन के चालक की 'अंशदायी लापरवाही' के बारे में है। जहाँ घायल कुछ लापरवाही का दोषी है, क्षति के लिए उसका दावा केवल उसकी ओर से की गई लापरवाही के कारण

विफल नहीं होता है, बल्कि चोटों के संबंध में उसके द्वारा वसूली योग्य क्षति उसकी 'अंशदायी लापरवाही' के अनुपात में कम हो जाती है। जहां घायल स्वयं आंशिक रूप से उत्तरदायी है, वहां 'समग्र लापरवाही' का सिद्धांत लागू नहीं होगा और न ही कोई स्वचालित अनुमान लगाया जा सकता है कि लापरवाही 50:50 थी।

मुआवजे का दावा दुघर्टना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किया गया था। दावेदारों का यह मामला था कि मृतक और घायल दावेदार मोटर साइकिल पर जब आगे बढ़ रहे थे, तभी पीछे से एक बस आई और उन्हें टक्कर मार दी। अपीलकतार् - निगम द्वारा इस दावे का इस आधार पर विरोध किया कि बस ने मोटर साइकिल को टक्कर नहीं मारी थी। मृतक तेज रफ्तार से आती हुई बस को देखकर खुद हैरान हो गया और सड़क से फिसल गया। इस प्रकार मृतक और दावेदार को चोटें आईं। निगम का मामला यह था कि निगम की बस ने मोटर साइकिल को टक्कर ही नहीं मारी। इस प्रकार निगम की बस के चालक की कोई लापरवाही नहीं थी। न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि अंशदायी लापरवाही थी और इसके लिए 1/3 कटौती करने के बाद 12 प्रितशत की दर से ब्याज के साथ मुआवजा प्रदान किया गया। उच्च न्यायालय ने यद्यपि यह अभिनिर्धारित किया कि कोई अंशदायी लापरवाही नहीं थी और अपीलकतार् निगम द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए दावेदारों द्वारा दायर अपील को आशिंक रूप से स्वीकार कर लिया।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलार्थी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य को गलत तरीके से पढ़ा। न्यायाधिकरण ने यह निष्कर्ष निकालने के लिए अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य का उल्लेख किया कि मृतक भी दुघर्टना के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार था और इसीलिए अंशदायी लापरवाही थी यद्यपि मृतक और निगम के

बीच अनुपात 1:2, जैसा कि न्यायाधिकरण द्वारा तय किया गया था, वह सही नहीं था। यह भी तर्क दिया गया कि दी गई ब्याज की दर बहुत अधिक थी।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1.1. इस प्रश्न को निर्धारित करने के लिए कि दुघर्टना में किसका योगदान था, यह पता लगाना प्रासंगिक हो जाता है कि कौन अपना वाहन उपेक्षा और लापरवाही से चला रहा था और यदि दोनों ऐसा कर रहे तो दुघर्टना के लिए कौन अधिक जिम्मेदार था और उनमें से किसके पास दुघर्टना से बचने का अंतिम अवसर था। यदि मुआवजे को विभाजित किया जाना है, तो यह भी पाया जाना चाहिए कि वादी की गलती क्षति के कारणों में से एक थी और जब एक बार यह शर्त पूरी हो जाती है तो क्षति का बंटवारा ज़िम्मेदारी के अनुपात में किया जाना चाहिए। यदि वादी की लारपरवाही ने भी क्षति में योगदान दिया है तो इसे क्षति के आंकलन में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उसे अंशदायी लापरवाही का दोषी पाया जा सकता है यदि उसे पहले से ही यह अनुमान लगा लेना चाहिए कि यदि उसने एक उचित, तर्कपूर्ण व्यक्ति के रूप में कार्य नहीं किया, तो उसे स्वयं को भी क्षति हो सकती है और उसे दूसरों के लापरवाह होने की संभावना को ध्यान में रखना चाहिए। [पैरा 7] [1207-एफ, जी और एच; 1208-ए]

1.2. न्यायाधिकरण ने यह पाया कि मृतक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए तेज गति से वाहन चला रहा था। दावेदार के गवाहों द्वारा बताए गए दुघर्टना के तरीकें से संकेत मिलता है कि मृतक दुर्घटना के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार था। उच्च न्यायालय का यह मानना गलत था कि मृतक ने दुघर्टना में योगदान नहीं दिया और कोइ अंशदायी लापरवाही नहीं थी। गवाहों की साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अंशदायी लापरवाही हुई है। अनुपात 1:4 तय

किया जा सकता है। दुघर्टना की तारीख 19.03.1998 को ध्यान में रखते हुए ब्याज की दर 8 प्रतिशत होनी चाहिए। [पैरा 8] [1208-बी, सी और डी]

1.3. दो या दो से अधिक वाहनों की दुर्घटना में, जहाँ कोई तीसरा पक्ष (शामिल वाहनों के चालक और मालिकों के अलावा) चोटों के नुकसान के लिए मुआयवजे का दावा करता है तो यह कहा जाता है कि मुआवजा दोनों वाहन चालकों की समग्र लापरवाही के संबंध में देय होगा। लेकिन ऐसी दुघर्टना के संबंध में, यदि दावा व्यक्तिगत चोटों के लिए वाहन चालकों में से किसी एक के द्वारा किया जाता है या किसी चालक की मृत्यु के कारण हुए नुकसान के लिए उसके विधिक उत्तराधिकारी द्वारा, या वाहनों में से किसी एक वाहन के मालिक द्वारा वाहन में हुए नुकसान के संबंध में किया जाता है तब जो मुद्दा उठता है वह सभी चालकों की समग्र लापरवाही के बारे में नहीं है बल्कि संबन्धित चालक की अंशदायी लापरवाही के बारे में है। [पैरा 9] [1208-डी, ई और एफ]

1.4. "समग्र लापरवाही' का तात्पयर् दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा की गई लापरवाही से है। जहां एक व्यक्ति, दो या दो से अधिक गलत करने वालों की लापरवाही के परिणामस्वरूप घायल हो जाता है, तो यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति उन गलत करने वालों की समग्र लापरवाही के कारण घायल हुआ था। ऐसे मामले में, प्रत्येक गलत करने वाला संयुक्त और पृथक-पृथक रूप से, घायल के प्रति संपूणर् क्षति के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। घायल व्यक्ति के पास उन सभी, या किसी के एक के विरुद्ध कायर्वाही करने का विकल्प होता है। ऐसे मामले में, घायल को प्रत्येक गलती करने वाले की ज़िम्मेदारी की सीमा को पृथक से स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही न्यायालय के लिए प्रत्येक गलती करने वाले के दायित्व की सीमा को पृथक से निर्धारित करना आवश्यक है। दूसरी ओर जहां किसी व्यक्ति को आंशिक रूप से किसी

अन्य व्यक्ति या व्यक्तियो की लापरवाही के कारण, और आंशिक रूप से उसकी स्वयं की लापरवाही के परिणामस्वरूप चोट लगती है तो लापरवाही घायल के उस हिस्से पर निर्भर करती है जिसने दुघर्टना में योगदान दिया है, इसे उसे अंशदायी लापरवाही कहा जाता है। जहां घायल कुछ लापरवाही का दोषी है, क्षति के लिए उसका दावा केवल उसकी लापरवाही के कारण निष्फल नहीं होता है परन्तु उसके आई चोटों की क्षति का दावा उसकी अंशदायी लापरवाही के अनुपात में कम हो जाता है। [पैरा 10] [1208-9, एच; 1209-ए, बी, सी]

1.5. जब दो वाहन एक दुर्घटना में शामिल होते हैं और उनमें से एक चालक दूसरे चालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे का दावा करता है और दूसरा चालक लापरवाही से इनकार करता है या दावा करता है कि घायल दावेदार स्वयं लापरवाह था। तो यह विचार करना आवश्यक हो जाता है कि क्या घायल दावेदार स्वयं लापरवाह था और यदि हां तो क्या वह दुघर्टना के लिए पूरी तरह या आंशिक रूप से जिम्मेदार था और उसकी ज़िम्मेदारी की सीमा ही उसकी अंशदायी लापरवाही है इसलिए जहां घायल स्वयं आंशिक रूप से उत्तरदायी है वहां समग्र लापरवाही का सिद्वान्त लागू नहीं होगा और ना ही कोई स्वचालित अनुपात का अनुमान लगाया जा सकता है कि लापरवाही 50: 50 थी। जैसा कि इस मामले में माना गया है। न्यायाधिकरण को अपीलकर्ता की अंशदायी लापरवाही की सीमा की जांच करनी चाहिए थी जिससे समग्र लापरवाही और अंशदायी लापरवाही के बीच के भ्रम से बच जाता। उच्च न्यायालय उक्त त्रुटि को सुधारने में विफल रहा है। जिस अनुपात में दावेदारों को भुगतान किया जाना है वह वहीं होगा जो न्यायाधिकरण द्वारा तय किया गया है। [पैरा 11,13] [1209-डी, ई, एफ एंड जी]

टी.ओ. एंथनी बनाम कार्वर्णन व अन्य 2008 (3) एससीसी 748 - पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2008 की सिविल अपील सं 3623-3626।

उच्च न्यायालय आंध्रप्रदेश हैदराबाद के सी.एम.ए. सं. 2000 की संख्या 2913, 2925 एवं 2001 की 283 और 551 में अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 28.10.2004 से उत्पन्न।

अपीलकर्ताओं की ओर से - आर.संथन कृष्णन, प्रवीण के.पांडे और डी.महेश बाबू।

उत्तरदाता की ओर से - के. मारुति राव, के. राधा और अंजनी अय्यगारी।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. इन अपीलों में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 173 के तहत दायर कई अपीलों का निस्तारण करने वाले आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनाैती दी गई है। दावेदारों के साथ-साथ वर्तमान अपीलकतार् -निगम और उसके पदाधिकारियों द्रा अपील दायर की गई थी। आक्षेपित निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता f-निगम द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए दावेदार द्रा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया । कथित तौर पर एक वाहन दुघर्टना में के. लिंगम नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसकी विधवा व नाबालिग बच्चों ने मुआवजे का दावा किया। इस प्रकार उसकी विधवा श्रीमती. के. हेमलता ने लगभग रु. 8,00,000/ के मुआवजे का भी दावा किया। जबकि

उसी दुर्घटना के संबंध में घायल दावेदार ने रुपये. 1,00,000/- के मुआवजे का दावा किया। दावेदारों का मामला यह था कि 19-03-1998 को मूल याचिका 878/ 1998 में मृतक और घायल दावेदार मोटर बाइक नंबर AP.10J 5350 पर यादगिरिगुट्टा की ओर जा रहे थे और जब वे यादगिरिगुट्टा में एपीएसआरटीसी बस डिपो पहुंचे तो ए.पी.एस.आर.टी.सी. की बस संख्या एपी 9 जेड 3972 के चालक ने मोटर साइकल को पीछे से टक्कर मार दी। उक्त दुघर्टना में मृतक और दावेदार को गंभीर चोटें आइर्। उन्हें सर्वप्रथम सरकारी अस्पताल, भोंगीर में भर्ती कराया गया और उसके बाद उन्हें सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। मृतक की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें सीडी. आर. अस्पताल हैदराबाद में भर्ती करा दिया, जहां 24.3.1998 को चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस को दी गई शिकायत पर अपराध संख्या 16/1998 पुलिस स्टेशन यदिगरगुट्टा पर दजर् किया गया। दावेदारों का यह भी मामला था कि मृतक एक प्रथम श्रेणी का ठेकेदार था और आयकरदाता था। और उच्च परिमाण के सिविल अनुबंध कर रहा था। यह दलील देते हुए कि मृतक की अचानक और असामयिक मृत्यु के कारण, दावेदारों ने निभर्रता खो दी। उन्होंने मुआवजे का दावा किया जिसमें सम्पित्त की हानि, सुखाधिकार की हानि के कारण गैर-आर्थिक क्षति शामिल थी। जहां तक मूल याचिका सं. 878/1998 का प्रश्न है, यह मृतक की पत्नि द्वारा दायर की गर् थी, जो उसी दुघर्टना में घायल हो गई थी, जिसमें चिकित्सा व्यय, पीड़ा और विकलांगता के कारण मुआवजे का दावा किया गया था। अपीलकतार् आंध्रप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (संक्षेप में 'निगम') द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष जवाबी हलफनामा दायर करके उक्त याचिका का विरोध किया गया था। यह मामला था और यह उनका विशिष्ट मामला था कि बस ने मोटर साइकल को टक्कर नहीं मारी। इसके अलावा, उनका यह मामला था कि तेज गति से आती बस को देखकर मृतक स्वयं हैरान हो गया और सड़क से फिसल गया। इस प्रकार मृतक और दावेदार

को चोटें आइर्। साक्षेप में निगम का यह मामला था कि निगम की बस ने मोटरसाइकल को टक्कर नहीं मारी। इस प्रकार निगम की बस के चालक की उक्त दुघर्टना में कोई लापरवाही नहीं थीजिसके लिए उनसे मुआवजा मांगा जाए।

3. न्यायाधिकरण ने दोनों क्षतिपूर्ति याचिकाओं में मुददे तय किए। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य को ध्यान में रखने के बाद यह अभिनिर्धारित किया गया कि मृतक की आयु 41 वर्ष थी, उसकी आय लगभग 5,000/- रुपये प्रति माह थी और व्यक्तिगत खचोर्ं के लिए एक तिहाई कटौती के बाद परिवार के लिए योगदान लगभग 3,400/- प्रति माह था और वार्षिक योगदान Rs.40,800/ था। 11 के गुणक को लागू करने के बाद, रु. 4,48,800/- का मुआवजा दिया गया। इसके अतिरिक्त चिकित्सा व्यय, परिवहन व्यय, अंतिम संस्कार व्यय के लिए रुपये 70,000/- की राशि प्रदान की गई थी। दूसरे शब्दों में मृतक की मृत्यु के दावे के संबंध में मुआवजे की राशि के रूप में 5,18,800/- तय किए गए थे। लेकिन चूंकि न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि अंशदायी लापरवाही थी इसलिए 1/3 की कटौती की गई थी। याचिका की तिथि से 12 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज दिया गया। याचिका में चोटों के लिए रुपये 25,000/- की राशि प्रदान की गई थी लेकिन 1/3 की कटौती के बाद 12 प्रितशत सालाना की दर से ब्याज के साथ राशि रुपये 16,666/- तय की गई थी।

4. दावेदारों और निगम दोनों ने अपील दायर की। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि दावेदार द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार की गई थी, जबकि निगम द्वारा दायर अपील को खारिज कर दी गई थी। मुख्य रूप से उच्च न्यायालय ने माना कि अंशदायी लापरवाही का कोई प्रश्न ही नहीं था।

5. अपील के समर्थन में, अपीलकतार् के विद्वान वकील ने तकर् दिया कि उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य को गलत तरीके से पढ़ा है।

न्यायाधिकरण ने यह निष्कर्ष निकालने के लिए अभिलेख पर मौजूद सबूतों का हवाला दिया है कि मृतक भी दुघर्टना के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार था और इसलिए उसने यह स्पष्ट रूप से माना है कि दुघर्टना में अंशदायी लापरवाही थी। हालांकि न्यायाधिकरण द्वारा तय किया गया 1:2 का अनुपात यानि मृतक और निगम के बीच का अनुपात सही नहीं था। यह भी बताया गया कि दी गई ब्याज की दर बहुत अधिक है।

6. दूसरी ओर प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया।

7. इस प्रश्न को निर्धारित करने के लिए दुर्घटना के घटित होने में किसे किसने योगदान दिया, यह पता लगाना प्रासंगिक हो जाता है कि कौन अपना वाहन लापरवाही और उपेक्षा से चला रहा था और यदि दोनों ऐसा कर रहे थे तो दुर्घटना के लिए कौन अधिक जिम्मेदार था और दोनों में से किसके पास दुर्घटना से बचने का अंतिम अवसर था। यदि क्षति को विभाजित किया जाना है, तो यह भी पाया जाना चाहिए कि वादी की गलती क्षति के कारणों में से एक थी और एक बार यह शर्त पूरी हो जाने पर क्षति को ज़िम्मेदारी के हिस्से के अनुसार विभाजित कया जाना चाहिए। यदि वादी की लापरवाही ने भी क्षति में योगदान दिया है तो क्षति का आंकलन करते समय इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उसे अंशदायी लापरवाही का दोषी पाया जा सकता है यदि उसे यह अनुमान लगाना चाहिए था यदि वह एक उचित, तकर्संगत व्यक्ति के रूप में कार्य नहीं करता है तो उसे स्वयं को भी चोट लग सकती है और उसे दूसरों के लापरवाह होने की संभावना को भी ध्यान में रखना चाहिए।

8. न्यायाधिकरण ने यह पाया कि मृतक विवाह समारोह में भाग लेने के लिए तेज गति से वाहन चला रहा था। दावेदारों के गवाहों द्वारा बताए गए दुघर्टना के तरीके से संकेत मिलता है कि मृतक दुर्घटना के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार था। उच्च

न्यायालय का यह मानना गलत था कि मृतक ने दुर्घटना में योगदान नहीं दिया था और कोई भी अंशदायी लापरवाही नहीं थी। गवाहों के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अंशदायी लापरवाही थी। अनुपात 1:4 पर तय किया जा सकता है दिये गए मुआवजे में से लगभग एक लाख की कटौती की जानी चाहिए। अतः मुआवजा 4,18,800/- निर्धारित किया गया एवं दुर्घटना की तारीख को ध्यान में रखते हुए, ब्याज दर 8 प्रतिशत होनी चाहिए।

9. दो या दो से अधिक वाहनों से हुई दुघर्टना में, जहाँ तीसरा पक्ष (शामिल वाहनों के चालकों/मालिकों के अलावा) नुकसान या चोटों के लिए मुआवजे का दावा करता है, ऐसा कहा जाता है कि मुआवजा उन वाहनों के चालकों की समग्र लापरवाही के संबंध में देय है। परन्तु ऐसी किसी दुघर्टना के संबंध में यदि दावा स्वयं किसी चालक द्वारा व्यक्तिगत चोटों के लिए किया गया है, या चालकों में से किसी एक की मृत्यु के कारण हुए नुकसान के लिए उसके विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा, या वाहनों में से किसी एक वाहन के मालिक द्वारा उसके वाहन को हुए नुकसान के संबंध में, तो जो मुद्दा उत्पन्न होता है वह सभी चालकों की समग्र लापरवाही, के बारे में नहीं है बल्कि संबंधित चालक के अंशदायी लापरवाही के बारे में है।

10. "समग्र लापरवाही' का तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा की गई लापरवाही से है। जहां एक व्यक्ति, दो या दो से अधिक गलत करने वालों की लापरवाही के परिणामस्वरूप घायल हो जाता है, तो यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति उन गलत करने वालों की समग्र लापरवाही के कारण घायल हुआ था। ऐसे मामले में, प्रत्येक गलत करने वाला संयुक्त और पृथक-पृथक रूप से, घायल के प्रति संपूर्ण क्षति के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। घायल व्यक्ति के पास उन सभी, या किसी के एक के विरुद्ध कायर्वाही करने का विकल्प होता है। ऐसे मामले में, घायल को प्रत्येक गलती

करने वाले की जिम्मेदारी की सीमा को पृथक से स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही न्यायालय के लिए प्रत्येक गलती करने वाले के दायित्व की सीमा को पृथक से निर्धारित करना आवश्यक है। दूसरी ओर जहां किसी व्यक्ति को आंशिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियो की लापरवाही के कारण, और आंशिक रूप से उसकी स्वयं की लापरवाही के परिणामस्वरूप चोट लगती है तो लापरवाही घायल के उस हिस्से पर निर्भर करती है जिसने दुघर्टना में योगदान दिया है, इसे उसे अंशदायी लापरवाही कहा जाता है। जहां घायल कुछ लापरवाही का दोषी है, क्षति के लिए उसका दावा केवल उसकी लापरवाही के कारण निष्फल नहीं होता है परन्तु उसके आइर् चोटों की क्षति का दावा उसकी अंशदायी लापरवाही के अनुपात में कम हो जाता है।

11. इसलिए, जब दो वाहन किसी दुघर्टना में शामिल होते है और उनमें से एक चालक लापरवाही का आरोप लगाते हुए दूसरे चालक पर मुआवजे का दावा करता है और दूसरा चालक लापरवाही से इंकार करता है या दावा करता है कि घायल दावेदार स्वयं लापरवाह था तो यह विचार करना आवश्यक हो जाता है कि क्या घायल दावेदार लापरवाह था और यदि हा, तो क्या वह दुघर्टना के लिए पूरी तरह या आंशिक रूप से जिम्मेदार था और उसकी जिम्मेदारी की सीमा ही उसकी अंशदायी लापरवाही है। इसलिए जहां घायल स्वयं आंशिक रूप से उत्तरदायी है, वहां 'समग्र लापरवाही' का सिद्धांत लागू नहीं होगा और न ही कोई स्वचालित अनुमान लगाया जा सकता है कि लापरवाही 50-50 थी जैसा कि इस मामले में माना गया है। न्यायाधिकरण को अपीलकतार् की अंशदायी लापरवाही की सीमा की जांच करनी चाहिए थी और इस तरह से समग्र लापरवाही और अंशदायी लापरवाही के बीच भ्रम से बचना चाहिए था। उच्च न्यायालय उक्त त्रृटि को सुधारने में विफल रहा है।

12. उपरोक्त स्थिति पर टी. ओ. एंथनी बनाम कार्वर्णन व अन्य [2008 (3) एससीसी 748] में भी प्रकाश डाला गया है।

13. उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की गई कि जिस अनुपात में दावेदारों को भुगतान किया जाना है वह वही होगा जो न्यायाधिकरण द्वारा तय किया गया गया था।

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नीरज कुमार-II (आर.जे.एस.), द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।